महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

वी.

पैन इंडिया परिवर्तन लिमिटेड और एएनआर।

(सिविल अपील सं। 6438-6439 2009)

फरवरी 18,2020

[दीपाक गुप्ता और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

बॉम्बे मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1923: एसएस। 3 (1) (ख), 3 (2), 3 (5) (क) और (ख)-मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान पर शुल्क

- मनोरंजन पार्क में प्रवेश के लिए मनोरंजन शुल्क

प्रत्यर्थी एक मनोरंजन पार्क चला रहा था और उसे मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी-प्रत्यर्थी ने इस बात की पुष्टि करने की मांग की कि मनोरंजन कर एक समेकित टिकट के मूल्य का @3.75% लगाया जाना चाहिए, हालांकि, मनोरंजन शुल्क की मांग @7.5% और प्रत्यर्थी से @3.75% नहीं-प्रतिवादी ने विरोध में भुगतान किया-लिखें

अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली और भुगतान किए गए शुल्क की वापसी की मांग करने वाली याचिका-उच्च न्यायालय ने कहा कि मनोरंजन पार्क के लिए लगाया जाने वाला मनोरंजन शुल्क 15 प्रतिशत का 50 प्रतिशत यानी 7.5 प्रतिशत है। 3 (2) , इस प्रकार, एस के संदर्भ में। 3 (5) (क) और (ख) मनोरंजन शुल्क 7.5 प्रतिशत का 50 प्रतिशत है अर्थात 3.75%-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः पहले तीन वर्षों के संबंध में

केवल एक लाभ के लिए या तो यू/एस। 3 (2) या यू/एस। 3 (5) (ए)-से एस। 3 (2) अन्य सभी गतिविधियों के लिए सभी मनोरंजन पार्कों पर लागू नहीं है, इसलिए, एस के संदर्भ में मनोरंजन कर्तव्य। 3 (5) (क) केवल अधिरोपणीय होगा-उच्च न्यायालय का आदेश कि एस के संदर्भ में। 3 (5) (क) मनोरंजन शुल्क देय शुल्क का 50 प्रतिशत है। 3 (2) स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अलग रखा जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 बॉम्बे एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट, 1923 की धारा 3 (5) (ए) के उपखंड (ii) में 50 प्रतिशत की दर से उस शुल्क पर विचार किया गया है।

उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा

धारा 3 की धारा (2) देय होगी। अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) के उपखंड (ii) के पहले भाग के संबंध में, अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के तहत मनोरंजन शुल्क 15 प्रतिशत का 50 प्रतिशत है। यह अधिनियम की उप-धारा 3 (2) है जिसकी व्याख्या की जानी आवश्यक है। उक्त प्रावधान शुल्क के प्रभार के संबंध में है

अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) में निर्दिष्ट शुल्क के 50 प्रतिशत पर मनोरंजन पार्कों में आने वाले विशिष्ट श्रेणी के आगंतुकों को भुगतान करना।

" किसी भी समाज के लिए सदस्यता या योगदान के रूप में एकमुश्त राशि ", या" एक सीजन टिकट के लिए "या" मनोरंजन की एक श्रृंखला में प्रवेश के अधिकार के लिए "या" एक निश्चित अवधि के दौरान किसी भी मनोरंजन के लिए "। रिट याचिकाकर्ता चार श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आते हैं। श्रेणी (ए) किसी भी समाज के लिए एकमुश्त सदस्यता या योगदान है। रिट याचिकाकर्ता इस तरह से नहीं पड़ेंगे

भुगतान के रूप में श्रेणी किसी भी समाज के लिए नहीं है। यह रिट याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि उन्होंने एक सीजन का टिकट जारी किया है

समय, रिट को सक्षम करने के लिए उस छूट को देने के लिए राज्य सरकार और/या नगर निगम के निर्णय पर निर्भर करता है। याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य मनोरंजन पार्क मालिकों को कम दर पर शुल्क लेना चाहिए। [पैरा 12-15] [660-B-H]

1.2 अधिनियम की धारा 2 (ए-1) के तहत मनोरंजन पार्क को एक ऐसी जगह के रूप में परिभाषित किया गया है जहां विभिन्न प्रकार के मनोरंजन किए जाते हैं।

खेल या सवारी या दोनों को उचित रूप से प्रदान किया जाता है स्थायी आधार पर, प्रवेश के लिए भुगतान पर। प्रवेश के लिए भुगतान को अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत भुगतान के रूप में परिभाषित किया गया है।

मनोरंजन स्थल के एक भाग में प्रवेश लेने वाले और बाद में दूसरे भाग में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति द्वारा बनाया गया। अधिनियम की धारा 2 (डी) एक मनोरंजन में प्रवेश से संबंधित है जिसमें किसी भी स्थान पर प्रवेश शामिल है जिसमें मनोरंजन आयोजित किया जाता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जब एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है

सभी सवारी और खेलों के लिए प्रवेश का अधिकार, फिर यह मनोरंजन की श्रृंखला में प्रवेश बन जाता है। रिट याचिकाकर्ता एक परिसर में स्थित एक या अधिक सवारी या खेलों सहित एक टिकट जारी करते हैं। यह रिट याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि प्रत्येक सवारी या खेल के लिए, यह अलग से शुल्क ले रहा है। में प्रवेश अधिनियम की धारा 2 (डी) के संदर्भ में मनोरंजन में सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सवारी और खेल शामिल हैं।

वह जगह हो सकती है जहाँ कई दिनों में खेल या सवारी की सुविधा प्रदान की जाती है और प्रत्येक दिन के आयोजनों के लिए एक संयुक्त टिकट जारी किया जाता है। इसके बाद ही इसे मनोरंजन की श्रृंखला कहा जाएगा। [पैरा 16,17] [661-बी-ई] 1.3 एक बार प्रवेश टिकट दिए जाने के बाद, यह अधिनियम की धारा 3 (2) के संदर्भ में नहीं है, बल्कि केवल अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के संदर्भ में है। अधिनियम की धारा 3 (2) किसी ऐसे मनोरंजन पार्क के आगंतुक के लिए लागू नहीं होती है जो अधिनियम की धारा 3 (2) में उल्लिखित चार श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आता है। चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई गतिविधियाँ अधिनियम की धारा 3 (2) के हिस्से में विफल नहीं हो रही हैं, इसलिए वे अधिनियम की धारा 3 (2) में निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान की गई 50 प्रतिशत की छूट के हकदार नहीं हैं। [पैरा 18] [661-एफ-जी]

1.4 अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) का अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) और धारा 3 (2) पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। मनोरंजन शुरू होने की तारीख से पहले तीन वर्षों के संबंध में

पार्क में, कोई समस्या नहीं है क्योंकि कोई मनोरंजन शुल्क देय नहीं है। लेकिन, बाद के दो वर्षों के संबंध में, देय शुल्क की दर उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत या, जैसा भी मामला हो, इसके तहत है।

धारा 3 की उप-धारा (2)। अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) सभी मनोरंजन पार्कों पर लागू होती है जबकि अधिनियम की धारा 3 (2) में कहा गया है कि

केवल उसमें निर्दिष्ट श्रेणियों के संबंध में सीमित प्रयोज्यता। सभी मनोरंजन के लिए सभी मनोरंजन पार्क अधिनियम की धारा 3 (2) के संदर्भ में रियायती शुल्क के हकदार नहीं हैं। इसलिए, रिट याचिकाकर्ता धारा 3 (2) के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।

अधिनियम। तर्क बेतुका है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता पहले अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत और फिर अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) के तहत लाभ का दावा कर रहे हैं। मनोरंजन पार्क धारा 3 (2) या उसके तहत केवल एक ही लाभ के हकदार होंगे।

केवल अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) के संदर्भ में मनोरंजन शुल्क देय होगा। अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत शुल्क केवल उल्लिखित निर्दिष्ट श्रेणियों के संबंध में ही देय होगा। उसमें। [पैरा 19] [661-एच; 662-ए-सी] महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

वी. पैन इंडिया परिवर्तन लिमिटेड और एएनआर।

1.5 उच्च न्यायालय का निर्णय कि अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) के संदर्भ में, मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत देय शुल्क का 50 प्रतिशत है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे अलग कर दिया जाता है। [पैरा 20] [662-डी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 6438

1996 की रिट याचिका संख्या 111 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19.12.2006 से 1998 की याचिका सं. 2009।

सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

तेजवीर भाटिया, सुदीप चटर्जी, सुश्री सुरभी सिंह, गौरव शर्मा, अभिनव मुखर्जी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपीलों में चुनौती 19 तारीख को बॉम्बे में उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित एक आदेश को दी गई है।

दिसंबर, 2006 जिसके तहत बॉम्बे एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट, 1923 की धारा 3 (1) (बी), 3 (2) और उप-धारा 5 (ए) और (बी) की व्याख्या की गई थी। यह अभिनिर्धारित करना कि उत्तरदाताओं द्वारा देय कर की दर निम्नानुसार होगीः

" आई. उद्यान शुरू होने की तारीख से पहले तीन वर्षों के लिए

याचिकाकर्ताओं को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, ii. चौथे और पांचवें वर्ष के लिए शुल्क, शुरू होने की तारीख से, देय शुल्क 3.75% की दर पर है, जो रियायती दर लागू करता है।

प्रावधान।

iii. प्रारंभ की तारीख से छठे वर्ष के दौरान देय शुल्क

उद्यान और उसके बाद की दर 7.5 प्रतिशत है।

2. रिट याचिकाकर्ता ग्रेटर बॉम्बे की सीमा के भीतर एक मनोरंजन पार्क का मालिक हैं और चलाते हैं जिसे 25 दिसंबर, 1989 को जनता के लिए प्रवेश के लिए खोल दिया गया था। उन्होंने मनोरंजन पार्क में प्रवेश और मनोरंजन के लिए एकमुश्त राशि ली। अधिनियम के संदर्भ में, रिट याचिकाकर्ताओं को मनोरंजन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था।

1 संक्षेप में, 'अधिनियम'

2 संक्षेप में, 'रिट याचिकाकर्ता' [2020] 1 एस. सी. आर.

3. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में, का दावा

रिट याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 4 अक्टूबर, 1994 को इसने इस बात की पुष्टि करने की मांग की थी कि लगाया जाने वाला मनोरंजन कर किसी व्यक्ति के मूल्य का 3.75% होगा।

समेकित टिकट। इस तरह के रुख को अपीलार्थी संख्या 2-कलेक्टर, बॉम्बे उपनगरीय जिले द्वारा स्वीकार किया गया था। बाद में, 7 जनवरी, 1995 के संचार के माध्यम से, रिट याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया कि उन्हें 7.5% की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा न कि 3.75%। रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका के माध्यम से ऐसी मांग को चुनौती दी। उक्त रिट याचिका को एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था।

4. राज्य ने मनोरंजन शुल्क 7.5 प्रतिशत की दर से वसूल करने की मांग की।

16 सितंबर, 1994 से 24 दिसंबर, 1994 तक की अवधि के लिए मनोरंजन पार्क में प्रवेश के संबंध में और 25 दिसंबर, 1994 से @15 प्रतिशत। रिट याचिकाकर्ताओं ने विरोध में शुल्क का भुगतान किया। एक रिट याचिका में अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देते हुए, रिट याचिकाकर्ताओं ने भुगतान किए गए शुल्क की वापसी की मांग की।

5. उच्च न्यायालय ने पाया कि निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न हुए

विचारः

" आई. याचिकाकर्ताओं द्वारा देय मनोरंजन शुल्क की दर

16 सितंबर, 1994 से 24 दिसंबर, 1994 तक की अवधि।

ii. 25 दिसंबर से शुरू होने वाली अवधि के लिए देय शुल्क की दर,

1994 .

iii. क्या कर्तव्य की वसूली की मांग में उत्तरदाताओं की कार्रवाई

25 दिसंबर, 1989 से 23 अगस्त, 1990 के दौरान देय

कानून में। यह सवाल 1998 की रिट याचिका संख्या 2009 द्वारा उठाया गया है। 6. इससे पहले कि हम विद्वानों के संबंधित तर्कों पर विचार करें

पक्षों के वकील, अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों को संदर्भित करने की आवश्यकता हैः

" 2 (ए-1) "। "मनोरंजन पार्क" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहाँ विभिन्न प्रकार के मनोरंजन जिसमें खेल या सवारी या दोनों शामिल हैं लेकिन शामिल नहीं हैं

सिनेमेटोग्राफ और वीडियो प्रदर्शनी द्वारा प्रदर्शनी उचित रूप से प्रदान की जाती है। स्थायी आधार पर, प्रवेश के लिए भुगतान पर;

XX

XX

XX

2 (ख) के प्रभार के संबंध में "प्रवेश के लिए भुगतान"

मनोरंजन कर्तव्य में महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. शामिल हैं। वी. पैन इंडिया परिवर्तन लिमिटेड और एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।]

((i) किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी भुगतान, जिसे भर्ती किया गया है। मनोरंजन स्थल के एक भाग को बाद में प्रवेश के लिए उसके दूसरे भाग में प्रवेश दिया जाता है जिसमें एक भुगतान शामिल होता है

कर्तव्य या अधिक कर्तव्य की आवश्यकता है,

XX

XX

XX

(घ) "मनोरंजन में प्रवेश" में किसी भी स्थान पर प्रवेश शामिल है जिसमें मनोरंजन आयोजित किया जाता है या किसी भी स्थान पर जहां मनोरंजन से केबल कनेक्शन के माध्यम से प्रदान किया जाता है, किसी भी प्रकार के एंटीना से केबल नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है या सीधे घर (डी. टी. एच.) प्रसारण सेवा के लिए केबल टेलीविजन;

XX

XX

XX

(च) किसी भी मनोरंजन के संबंध में "मनोरंजन शुल्क" या "कर्तव्य" का अर्थ धारा 3 के तहत लगाया गया मनोरंजन शुल्क है;

3. मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान पर शुल्क।

केबल टेलीविजन, या डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) प्रसारण सेवा, बॉलिंग एली, गो-कार्टिंग, डांस बार के माध्यम से प्रदर्शनी, डिस्कोथेक, मनोरंजन पार्क, जल खेल गतिविधि, पूल गेम] एक शुल्क (इसके बाद "मनोरंजन शुल्क" के रूप में संदर्भित) निम्नलिखित दरों पर, अर्थात्:

(अ)

XX

XX

XX

(ख) प्रत्येक मनोरंजन के मामले में, [वीडियो प्रदर्शनी सहित सिनेमेटोग्राफ द्वारा प्रदर्शनी के अलावा] और

किसी भी प्रकार के एंटीना या केबल टेलीविजन के माध्यम से प्रदर्शनी]

बशर्ते कि कैबरे मनोरंजन के मामले में, मालिक द्वारा प्रति व्यक्ति लिए जाने वाले कुल भुगतान का पचास प्रतिशत

प्रति प्रदर्शनी, चाहे वह खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों के साथ हो या उनके बिना और ऐसे मनोरंजन में प्रवेश के लिए नियमित टिकट जारी किए गए हों या नहीं, प्रवेश के लिए भुगतान माना जाएगा और इस खंड के तहत तदनुसार उस पर शुल्क लगाया जाएगाः

बशर्ते कि, एक के संबंध में मनोरंजन कर्तव्य

मनोरंजन पार्क भुगतान [2020] 1 एस. सी. आर. का 15 प्रतिशत होगा।

मनोरंजन पार्क में प्रवेश के लिए, भुगतान सहित

खेलों और सवारी के लिए प्रवेश के लिए, चाहे अलग से शुल्क लिया जाए

या नहीं "

3 (2) जहाँ मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान किया जाता है

सदस्यता के रूप में एकमुश्त भुगतान के माध्यम से किया गया या किसी भी समाज के लिए, या एक मौसम टिकट के लिए या के लिए योगदान

मनोरंजन की किसी श्रृंखला में या किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश का अधिकार

एक निश्चित अवधि के दौरान या किसी भी समय के लिए मनोरंजन

प्रवेश के अधिकार के साथ विशेषाधिकार, अधिकार, सुविधा या चीज किसी भी मनोरंजन या बिना प्रवेश के इस तरह के अधिकार को शामिल करने के लिए

अतिरिक्त भुगतान या कम शुल्क पर मनोरंजन शुल्क

इस तरह की एकमुश्त राशि का 50 प्रतिशत पर लगाया और भुगतान किया जाएगा।

उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट दरें।

3 (5) (क) उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी

या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में लेकिन इसके अधीन

खंड (ख) के प्रावधान, 25 तारीख को और उससे प्रभावी

दिसंबर, 1989, वहाँ लगाया जाएगा, और द्वारा भुगतान किया जाएगा

राज्य सरकार के मालिक, मनोरंजन कर्तव्य

एक मनोरंजन पार्क के संबंध में निम्नलिखित तरीके से, अर्थात्:

((i) प्रारंभ होने की तारीख से पहले तीन वर्षों के लिए

मनोरंजन पार्क, कोई कर्तव्य नहीं; ((ii) अगले दो वर्षों के लिए पचास प्रतिशत की दर से

उप-धारा के खंड (ख) के तहत देय शुल्क की दर (1) या, जैसा भी मामला हो, धारा 3 की उप-धारा (2);

(iii) छठे वर्ष से, मनोरंजन शुल्क की पूरी राशि उप-धारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर उद्ग्रहीत या,

यथास्थिति, धारा 3 की उप-धारा (2)। स्पष्टीकरण। - इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए,

****

**

(जोर दिया गया)

7. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मनोरंजन शुल्क इसके लिए लगाया जाना चाहिए

मनोरंजन पार्क 15 प्रतिशत का 50 प्रतिशत है यानी अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत 7.5 प्रतिशत है, इसलिए अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) और (बी) के संदर्भ में, रंगाई शुल्क 7.5 प्रतिशत का 50 प्रतिशत है यानी 3.75%।

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि महाराष्ट्र और ओ. आर. एस. राज्य। वी. पैन इंडिया परिवर्तन लिमिटेड और एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।]

ऐसी व्याख्या अधिनियम के प्रावधानों के संचयी अध्ययन के आधार पर की जाती है।

8. अपीलार्थियों के विद्वान वकील का तर्क है कि

अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है जो मनोरंजन पार्क के संबंध में मनोरंजन शुल्क लगाने पर विचार करता है।

जिस तरह से इसमें उल्लेख किया गया है। अधिनियम की धारा 3 (1) मनोरंजन पार्क के संबंध में मनोरंजन शुल्क को उसमें प्रवेश के लिए किए गए भुगतान का 15 प्रतिशत लगाने पर विचार करती है। गैर-अवरोधक के संदर्भ में खंड जिसके साथ धारा 3 (5) (ए) शुरू होती है, शुल्क का उद्ग्रहण उस उप-धारा के संदर्भ में होगा। अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) के उपखंड (आई) के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है, जिसका तात्पर्य यह है कि कोई शुल्क देय नहीं होगा। अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) के उपखंड (ii) में यह विचार किया गया है कि अगले दो वर्षों के लिए, 50 प्रतिशत की दर से शुल्क उप-धारा (1) के खंड (बी) या, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत देय होगा।

9. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि

मनोरंजन की एक श्रृंखला में प्रवेश के अधिकार के लिए एकमुश्त राशि, मनोरंजन शुल्क उल्लिखित दरों के 50 प्रतिशत की दर से लिया जाएगा। धारा 3 (1) (बी) में। इस प्रकार, उस मामले में जहां मनोरंजन पार्क सभी सवारी और खेलों के लिए प्रवेश के अधिकार के रूप में एकमुश्त राशि लेता है।

उक्त मनोरंजन पार्क में उपलब्ध होने पर धारा 3 (2) लागू होगी और मनोरंजन पार्क द्वारा देय मनोरंजन शुल्क होगा -

10. यह भी तर्क दिया जाता है कि धारा 3 (1) (बी) का प्रावधान इस वाक्यांश के साथ समाप्त होता है "जिसमें खेलों और सवारी के लिए प्रवेश के लिए किए गए भुगतान शामिल हैं, चाहे अलग से शुल्क लिया जाए या नहीं "। इस प्रकार, मनोरंजन पार्क द्वारा 15 प्रतिशत मनोरंजन कर का भुगतान किया जाता था, जहां वह केवल प्रवेश के लिए एक राशि लेता था और खेलों और सवारी के लिए शुल्क अलग होता था।

हालाँकि, जहाँ मनोरंजन पार्क एकमुश्त राशि लेता है जिसमें खेल और सवारी के लिए शुल्क शामिल है, वहाँ धारा 3 (2) के संदर्भ में देय मनोरंजन कर 7.5% होगा।

11. यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) आगे [2020] 1 एस. सी. आर. की धारा 3 (1) (ए) या धारा 3 (2) के तहत देय शुल्क पर कर अवकाश देती है।

चौथे और पांचवें वर्ष और बाद में छठे वर्ष से। धारा 3 (5) (ए) के उपखंड (ii) में विचार किया गया है कि उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत 50 प्रतिशत की दर से शुल्क या, जैसा भी मामला हो, धारा 3 की उप-धारा (2) देय होगी। अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) के उपखंड (ii) के पहले भाग के संबंध में, संभवतः कोई विवाद नहीं हो सकता है क्योंकि अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के तहत मनोरंजन शुल्क 15 प्रतिशत का 50 प्रतिशत है।

13. यह अधिनियम की उप-धारा 3 (2) है जिसकी व्याख्या की जानी आवश्यक है। उक्त प्रावधान 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के संबंध में है।

अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) में मनोरंजन पार्कों में आने वाले विशिष्ट श्रेणी के आगंतुकों के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतानः

क) "किसी भी समाज के लिए सदस्यता या योगदान के रूप में एकमुश्त राशि", या

ख) "सीजन टिकट के लिए" या

ग) "मनोरंजन की एक श्रृंखला में प्रवेश के अधिकार के लिए" या
घ) "एक निश्चित अवधि के दौरान कोई भी मनोरंजन"

14. हम पाते हैं कि रिट याचिकाकर्ता ऊपर उल्लिखित चार श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आते हैं। श्रेणी (ए) किसी भी समाज के लिए एकमुश्त सदस्यता या योगदान है। अभिव्यक्ति समाज में परिभाषित नहीं है एक्ट करें। इसलिए, सोसायटी का अर्थ होगा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या इसी तरह के अन्य कानूनों के तहत पंजीकृत सोसायटी। रिट याचिकाकर्ता ऐसी श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि भुगतान किसी भी समाज को नहीं होता है। यह रिट याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि उन्होंने आगंतुकों को एक सीजन का टिकट जारी किया है। सीजन टिकट का मतलब होगा कि एक नियमित आगंतुक नियमित रूप से एक विशिष्ट समय पर मनोरंजन पार्क का दौरा करता है।

15. श्रेणी (घ), कि प्रविष्टि एक निश्चित अवधि के दौरान किसी भी मनोरंजन के लिए निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत लेने पर होगी, राज्य सरकार और/या नगर निगम के उस छूट को देने के निर्णय पर निर्भर करती है ताकि रिट याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य मनोरंजन पार्क मालिक कम दर पर शुल्क ले सकें।

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। वी. पैन इंडिया परिवर्तन लिमिटेड और एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।]

16. मुख्य तर्क श्रेणी (सी) के संबंध में बदल जाता है जैसा कि ऊपर चित्रित किया गया है यानी मनोरंजन की एक श्रृंखला में प्रवेश के लिए। द. रिट याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि जब

टिकट उनके द्वारा जारी किया जाता है, यह मनोरंजन की श्रृंखला में प्रवेश के लिए एक टिकट है। हम उक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। द. अधिनियम की धारा 2 (ए-1) के तहत मनोरंजन पार्क को एक ऐसी जगह के रूप में परिभाषित किया गया है जहां खेल या सवारी सहित विभिन्न प्रकार के मनोरंजन या मनोरंजन किए जाते हैं।

दोनों को प्रवेश के लिए भुगतान पर स्थायी आधार पर उचित रूप से प्रदान किया जाता है। प्रवेश के लिए भुगतान को अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है एक व्यक्ति द्वारा किया गया भुगतान जिसने मनोरंजन स्थल के एक हिस्से में प्रवेश किया और बाद में दूसरे हिस्से में प्रवेश किया। अधिनियम की धारा 2 (डी) एक मनोरंजन में प्रवेश से संबंधित है जिसमें शामिल हैं -

किसी भी स्थान पर प्रवेश जहाँ मनोरंजन आयोजित किया जाता है।

17. यह तर्क कि जब सभी सवारी और खेलों के लिए प्रवेश के अधिकार के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है, तो यह मनोरंजन की श्रृंखला में प्रवेश बन जाता है, मान्य नहीं है। रिट याचिकाकर्ता एक परिसर में स्थित एक या अधिक सवारी या खेलों सहित एक टिकट जारी करते हैं। यह रिट याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि प्रत्येक सवारी या खेल के लिए, यह अलग से शुल्क ले रहा है। अधिनियम की धारा 2 (डी) के संदर्भ में मनोरंजन में प्रवेश में सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सवारी और खेल शामिल हैं। अधिनियम की धारा 3 (2) द्वारा विचार किए गए मनोरंजन की श्रृंखला का मतलब यह नहीं है कि एक प्रवेश के लिए एक दिन के टिकट पर, यह कर सकता है

मनोरंजन की एक श्रृंखला के रूप में माना जाए। मनोरंजन की श्रृंखला वह हो सकती है जहाँ कई दिनों में खेल या सवारी की सुविधा प्रदान की जाती है और प्रत्येक दिन के कार्यक्रमों के लिए एक संयुक्त टिकट जारी किया जाता है। इसके बाद ही इसे मनोरंजन की श्रृंखला कहा जाएगा।

18. एक बार प्रवेश टिकट दिए जाने के बाद, यह अधिनियम की धारा 3 (2) के संदर्भ में नहीं है, बल्कि केवल अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के संदर्भ में है। अधिनियम की धारा 3 (2) मनोरंजन पार्क में आने वाले आगंतुकों पर लागू नहीं होती है।

जो अधिनियम की धारा 3 (2) में उल्लिखित चार श्रेणियों में से किसी में नहीं आता है। चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई गतिविधियाँ अधिनियम की धारा 3 (2) के हिस्से में विफल नहीं हो रही हैं, इसलिए वे अधिनियम की धारा 3 (2) में निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान की गई 50 प्रतिशत की छूट के हकदार नहीं हैं। 19. अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) का अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) और धारा 3 (2) पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। मनोरंजन पार्क के शुरू होने की तारीख से पहले तीन वर्षों के संबंध में, कोई नहीं है

क्योंकि कोई मनोरंजन शुल्क देय नहीं है। लेकिन, बाद के [2020] 1 एस. सी. आर. के संबंध में।

दो वर्ष के लिए, देय शुल्क की दर उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत है। या, जैसा भी मामला हो, धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत। अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) सभी मनोरंजन पार्कों पर लागू होती है, जबकि अधिनियम की धारा 3 (2) सभी मनोरंजन पार्कों पर लागू होती है।

अधिनियम की सीमित प्रयोज्यता केवल उसमें निर्दिष्ट श्रेणियों के संबंध में है। सभी मनोरंजन के लिए सभी मनोरंजन पार्क अधिनियम की धारा 3 (2) के संदर्भ में रियायती शुल्क के हकदार नहीं हैं। इसलिए रिट याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। तर्क बेतुका है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता पहले अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत और फिर अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) के तहत लाभ का दावा कर रहे हैं। मनोरंजन पार्क केवल एक लाभ के हकदार होंगे।

या तो धारा 3 (2) के तहत या अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) के तहत। चूंकि धारा 3 (2) अन्य सभी मनोरंजन पार्कों पर लागू नहीं होती है।

क्रियाकलाप, इसलिए, केवल अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) के संदर्भ में मनोरंजन शुल्क अधिरोपणीय होगा। अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत शुल्क केवल उसमें उल्लिखित निर्दिष्ट श्रेणियों के संबंध में ही देय होगा। 20. इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के इस फैसले से सहमत नहीं हैं कि अधिनियम की धारा 3 (5) (ए) के संदर्भ में, मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत देय शुल्क का 50 प्रतिशत है। नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। अपीलों की अनुमति है।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन